

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 4

1. बेरला, जिला बेमेतरा में 50 सीटर अनुसूचित जाति पो.मै. कन्या छात्रावास की स्थापना हेतु ₹ 20.81 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन लेवल	पद संख्या
1.	छात्रावास अधीक्षक	लेवल-08	01
2.	चतुर्थ श्रेणी	आकस्मिकता स्थापना	03
3.	पूर्णकालिन स्वीपर	कलेक्टर दर	01
योग			05

2. पूर्व संचालित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, मस्तूरी जिला-बिलासपुर में 50 सीट की वृद्धि हेतु ₹ 14.74 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

3. पूर्व संचालित प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, मस्तूरी जिला-बिलासपुर में 50 सीट की वृद्धि हेतु ₹ 16.62 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 400 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

नवीन छात्रावास एवं छात्रावास में सीट वृद्धि हेतु छात्र भोजन सहाय योजनांतर्गत ₹ 20.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 2204

मद क्रमांक 6

राज्य युवा मितान क्लब हेतु ₹ 240.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किये जाने हेतु अतिरिक्त ₹ 28.032 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 28,03,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 8 से 10

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु ₹ 30,557.84 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,05,57,84,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 11

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु ₹ 1,200.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 2217

मद क्रमांक 12

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹493.98 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹4,93,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹419.94 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹4,19,94,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹156.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,56,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹132.61 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,32,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹649.98 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹6,49,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹552.55 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹5,52,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 18

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदाय करने हेतु ₹ 600.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 19

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के बढ़े हुए मानदेय हेतु ₹ 1500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20 से 21

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए आवश्यक फर्नीचर, ईसीसीई सामग्री, बर्तन, दर्ती, टाटपट्टी, वजन मशीन इत्यादि क्रय हेतु ₹315.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत सहायता राशि के भुगतान हेतु ₹ 617.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 6,17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

शुचिता योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आवश्यक फर्नीचर, ईसीसीई सामग्री, बर्तन, दर्री, टाटपट्टी, वजन मशीन इत्यादि क्रय हेतु ₹ 150.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 24

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आवश्यक फर्नीचर, ईसीसीई सामग्री, बर्तन, दर्री, टाटपट्टी, वजन मशीन इत्यादि क्रय हेतु ₹400.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 25

गोधन न्याय योजना अंतर्गत स्वावलंबी गोठानों के अशासकीय सदस्यों एवं अध्यक्षों के मानदेय भुगतान हेतु ₹100 प्रतीक का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 26 से 28

नेशनल लाईवस्टॉक मिशन योजना अन्तर्गत पी.एफ.एम.एस. के क्रियान्वयन हेतु ₹300 प्रतीक का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹300 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः प्रयोजनों हेतु ₹ 300 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 29

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत मजदूरी मद हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत अन्य आकस्मिक व्यय हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत पेट्रोल, तेल आदि हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹4.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹1.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत सामग्री और पूर्तियां मद हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹15.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 45

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹4.20 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 46

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति पर केन्द्रांश के रूप में ₹11.30 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 47

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत मजदूरी मद हेतु राज्यांश के रूप में ₹100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 48

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत कार्यालय व्यय हेतु राज्यांश के रूप में ₹25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 49

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत पेट्रोल, तेल आदि हेतु राज्यांश के रूप में ₹4.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 50

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु राज्यांश के रूप में ₹1.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 51

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत सम्मेलन आदि हेतु राज्यांश के रूप में ₹1.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 52

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत गोपनीय सेवा व्यय हेतु राज्यांश के रूप में ₹1.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 53

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत अनुरक्षण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में ₹34.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 54

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में ₹88.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 55

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत मशीन और उपकरण मद हेतु राज्यांश के रूप में ₹24.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 56

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति पर राज्यांश के रूप में ₹0.16 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 57

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत कार्यालय व्यय हेतु राज्यांश के रूप में ₹1.47 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 58

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु राज्यांश के रूप में ₹0.30 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 59

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत सम्मेलन आदि हेतु राज्यांश के रूप में ₹0.12 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 60

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत गोपनीय सेवा व्यय हेतु राज्यांश के रूप में ₹0.12 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 61

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत अनुरक्षण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में ₹14.40 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 62

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत सामग्री और पूर्तियां मद हेतु राज्यांश के रूप में ₹15.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 63

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में ₹4.20 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 64

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति पर राज्यांश के रूप में ₹11.30 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 65 से 69

1. स्मार्ट पीडीएस योजना के संचालन हेतु केन्द्रांश की राशि ₹14.16456 लाख एवं राज्यांश की राशि ₹ 9.44304 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 23,60,760 का प्रावधान किया गया है।

2. राईस फोर्टिफिकेशन योजना हेतु ₹908.1984 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,08,19,840 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।
3. पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन योजना हेतु केन्द्रांश की राशि ₹936.00 लाख एवं राज्यांश की राशि ₹204.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,40,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।
अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹20,71,80,600 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 70

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हेतु केन्द्रांश ₹ 49.82 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 49,82,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 71

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हेतु राज्यांश ₹ 33.216 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 33,21,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 72

पॉवर कंपनी के ऋण के ब्याज का टेकओवर (ऋण अदायगिया) हेतु ₹ 603.48 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,03,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 73

5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजनांतर्गत ₹3600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 36,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 74

घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना हेतु ₹1,376.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,76,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 75

औद्योगिक इकाईयों को उद्योग स्थापना हेतु लागत पूंजी अनुदान दिये जाने बाबत ₹1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 76

नवागढ़, जिला बेमेतरा में अनुसूचित जाति पो.मै. कन्या छात्रावास, अनुसूचित जाति प्रयास आवासीय विद्यालय पाटन, जिला दुर्ग एवं अनुसूचित जाति प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर जिला रायपुर के भवन निर्माण हेतु 140.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 77

प्रदेश की शालाओं में मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹ 14,166.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,41,66,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 78

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने एवं उन्नयन हेतु यू.जी./एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि के लिए तीन जिलों क्रमशः अंबिकापुर, रायगढ़ एवं बिलासपुर प्रत्येक के लिए राशि ₹ 154.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 462.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,62,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 79

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने एवं उन्नयन हेतु यू.जी./एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि के लिए तीन जिलों क्रमशः अंबिकापुर, रायगढ़ एवं बिलासपुर प्रत्येक के लिए राशि ₹ 103.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 309.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,09,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 4215

मद क्रमांक 80

जल जीवन मिशन योजना हेतु ₹13200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,32,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 4217

मद क्रमांक 81

अमृत मिशन योजनान्तर्गत केन्द्रांश राशि के रूप में ₹2544.48 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹25,44,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 82

अमृत मिशन योजनान्तर्गत राज्यांश राशि के रूप में ₹886.176 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹8,86,17,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 83

ग्राम परसदा तहसील पाटन जिला दुर्ग में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग एवं प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण हेतु 539.15 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 84 से 85

आंगनवाड़ी भवन निर्माण एवं पेयजल सुविधा कार्य हेतु ₹200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4406

मद क्रमांक 86

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत मशीन और उपकरण मद हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹20.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 87

प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत मशीन और उपकरण मद हेतु राज्यांश के रूप में ₹20.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 88

कृषि पंपों का ऊर्जाकरण योजना हेतु ₹ 4023.84 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 40,23,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 89

रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर योजना हेतु ₹ 428.52 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,28,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 90

सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान योजना (सौर सुजला योजना फेस-6 की बकाया राशि) हेतु ₹ 721.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,21,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 91

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना हेतु ₹7,00.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5275

मद क्रमांक 92

संचार क्रांति योजना हेतु ₹114.72 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,14,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।